P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-I* ISSUE- VIII* November- 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल एक आलोचनात्मक विश्लेषण

चन्द्रा सोलंकी
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एम0 डी0 एस0 यू0,
अजमेर

सारांश

देश की वर्तमान राजनीति अब नई करवट बदल रही है। यह परिवर्तन राजनीतिक शुचिता की ओर संकेत कर रहा है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी शासकीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। लोकपाल विधेयक के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने की ओर कदम तो बढ़ ही गए है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, गहराई तक जड़े जमा चुकी इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें स्वयं से शुरूआत करनी होगी और अनेक सकारात्मक कदम उठाने होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल विधेयक को पारित होने के लिए देश को लगभग पैंतालीस वर्षो का इंतजार करना पड़ा क्योंकि निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतू कई नेताओ ने इसे पारित होने से अटकाए रखा परन्तु जिस शख्स ने इसे पारित करवाने के लिए संधर्ष जारी रखा उस व्यक्ति का नाम है – अन्ना हजारे। लोकपाल विधेयक को पारित करवाने के असली हकदार गाँधीवादी नेता अन्ना हजारे हैं। जिन्होने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कदर आवाज उठाई कि नेताओं का जमीर जाग उठा। अन्ना हजारे के इस कदम ने देश के पुराने राजनीतिक ढर्रे और सोच को बदलकर सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाने पर विवश कर दिया। जो अपने लिए जीते है, वे मर जाते है, जो समाज के लिए जीते है, वे ताउम्र जिंदा रहते है।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, जन लोकपाल बिल, अन्ना हजारे, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर।

प्रस्तावना

अन्ना द्वारा प्रस्तावित बिल कोई नया नहीं है। 44 साल में यह बिल कई बार पास हुआ और कई बार रद्द हुआ। 1966 में राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने प्रशासनिक सुधारो के लिए मोरारजी देसाई की अगुवाई में एक कमेटी बनवाई। कमेटी ने पहली बार लोकपाल के लिए कानून की सिफारिश की। आखिर लम्बे इंतजार के बाद यह विधेयक 17 दिसम्बर 2013 को राज्य सभा में पारित हुआ और अब लोकसभा में भी पारित।

अन्ना का जन लोकपाल बिल

अन्ना द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल के मुख्य बिंदु इस प्रकार है–

1. इस बिल के अनुसार केन्द्र में लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्तों का गठन होगा।
2. यह संस्था निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी।
3. किसी भी मुकदमें की जाँच 3 महीने के भीतर पूरी होगी।
4. भ्रष्ट अधिकारी, व्यक्ति, नेता, न्यायाधीश को एक साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
5. भ्रष्टाचार के कारण हुए नुकसान की भरपाई अपराधी से वसूली जाएगी।
6. अगर किसी व्यक्ति का काम तय सीमा में पूरा नहीं होता है तो दोषी अधिकारी शिकायतकर्ता की क्षतिपूर्ति करेगा।
7. लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर 2 महीने में जाँच पूरी कर दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा।

लोकपाल बिल एक आलोचनात्मक विश्लेषण

भले ही लोकपाल बिल पारित हो गया हो फिर भी इसके कई अनुतरित प्रश्नो की विवेचना आवश्यक है–

1. प्रधानमंत्री लोकपाल चयन प्रकिया का हिस्सा है तो उसके खिलाफ होने वाली शिकायतों का निवारण पारदर्शिता से किस प्रकार होगा?
2. लोकपाल की जांच एजेंसी सी.बी.आई. की स्वायत्ता कैसे बनी रहेगी।

3. भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वालों को लोकपाल किस हद तक सुरक्षा की गारण्टी देगा।
4. न्यायपालिका के सम्मान पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
5. भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में लोकपाल पर कार्यभार बढ़ने पर क्या वह निष्पक्ष रह पाएगा।
6. नौकरशाही के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का त्वरितता से समाधान कैसे होगा।
7. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यह भारत के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायिक पद है, ऐसे में लोकपाल नियुक्ति से संबंधित बातो का उनके समक्ष रखना क्या उचित होगा।

आदि ऐसे कई सवाल हैं जो हमें लोकपाल की सार्थकता पर सोचने को विवश करते है।

उद्देश्य

अन्ना ने सूचना के अधिकार से अपना आंदोलन शुरू किया था। पिछले 12 वर्षो से अन्ना भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे है। देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जन लोकपाल बिल एक पहल है। मशहूर अखबार डॉन के अनुसार अन्ना के आंदोलन के कारण सरकार जन लोकपाल पर चर्चा कर रही है।" जन लोकपाल बिल लाने का मुख्य उद्देश्य है कि सत्ता की ऊँची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी यह समझे कि वह भी किसी की नजरों में है और उसे भी जवाब देना है।

निष्कर्ष

निश्चित तौर पर अन्ना की पहल को स्वीकार किया जाना चाहिए। मामला चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले का हो या फिर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले का या फिर अन्य किसी घोटाले का जनता इन सबसे आजिज आ चुकी है ऐसे में इस बिल की पहल होना सार्थक है। इस बिल को मजबूती प्रदान करने के लिए दो ओर विधेयकों का भी पारित होना आवश्यक है।

1. सिटीजन चार्टर।
2. व्हिसल बलोअर संरक्षण।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शुरूआत केवल बिल पर निर्भर ना होकर स्वयं से करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें

1. गौड़ संजय, अगस्त क्रांति का महानायक अन्ना हजारे, वाये किंग पब्लिशिंग 2005।
2. चंदा अशोक भारतीय प्रशासन, सागा प्रकाशन हाउस 2014।
3. चौधरी देवीप्रकाश लोकनायक अन्ना हजारे जे.वी.ए. प्रकाशन, 2013।
4. जॉन मांटेरो – भ्रष्टाचार।
5. पालखीवाला नानी – हम हिंदुस्तानी।
6. भगत चेतन कांति 2009।
7. जॉन मांटेरो भ्रष्टाचार।

आर्टीकल

1. अशोक कुमार अवस्थी – लोकपाल विधेयक की परिधि और प्रासंगिकता प्रतियोगिता दर्पण 2005।
2. सुरेन्द्र राय – भ्रष्टाचार एक समस्या प्रतियोगिता दर्पण 2005।

समाचार पत्र पत्रिकाएं

1. लोकपाल विधेयक एक सार्थक पहल, दैनिक नवज्योति, 23 दिसम्बर 2015।
2. जनसत्ता।
3. दैनिक जागरण – खास है लोकपाल।
4. इंडिया टुडे।
5. दैनिक भास्कर।
6. राजस्थान पत्रिका।
7. सहारा समय।

मीडिया

1. आज तक।
2. जी न्यूज।
3. गूगल सर्च में भ्रष्टाचार।
4. सिटीजन न्यूज – सर्विस क्या है – लोकपाल बिल।